दिनांक 07.05.2025 को हुई ऑपरेशन अभ्यास 2025 में पूरे भारतवर्ष में मॉक ड्रील से सम्बंधित दिशानिर्देशों बारे उपायुक्त महोदय, श्रीमती नेहा सिहं की अध्यक्षता में कांफ्रेंस हॉल, कुरूक्षेत्र में 12:00 बजे मिटिंग का आयोजन किया गया। जिसमें पुलिस अधीक्षक, कुरूक्षेत्र, सभी उपमण्डल अधिकारी (ना0), नगराधीश कुरूक्षेत्र व जिला के सभी अधिकारी उपस्थित हुये। उपायुक्त महोदय द्वारा निम्न दिशानिर्देश दिये गये:–

1. पुलिस अधीक्षक, कुरूक्षेत्र को जिला में शांति सुरक्षा बनाये रखने बारे व निर्धारित स्थानो पर शांतिमय ढंग से मॉकड्रील करवाने के लिए आदेश दिये गये।
2. सभी उपमडण्ल अधिकारियों को आदेश दिये गये कि वह अपनी अपनी तहसील में किसी भी आपदा से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करें व नियमित रूप से कंट्रोल रूप में कर्मचारियों की डयूटी लगाना भी सुनिश्चित करें व अधोहस्ताक्षरी को इस बारे में सूचित करें ।
3. सभी उपमडण्ल अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि ऐसे Vulnerable areas/vital installations like dams, fuel depots, telecom towers power stations, hospitals, market, prone to military attacks में इस स्थिति बारे मुनादी करवाये व अपने अधीनस्थ सरकारी कार्यलायों में बचाव राहत सामग्री से सम्बधित सभी उपकरण लगवाना सुनिश्चित करें।
4. नगराधीश, कुरूक्षेत्र को पैनोरमा में मॉक ड्रील करवाने बारे आदेश दिये गये।
5. उपमण्डल अधिकारी ना0 थानेसर को नया सचिवालय, कुरूक्षेत्र में मॉक ड्रील करवाने बारे आदेश दिये गये।
6. जिला राजस्व अधिकारी, कुरूक्षेत्र को आदेश दिये गये कि किसी भी आपदा से निपटन के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करें व नियमित रूप से कंट्रोल रूप में कर्मचारियों की डयूटी लगाना भी सुनिश्चित करें
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड, कुरूक्षेत्र कम उपमण्डल अधिकारी ना0 लाडवा को ब्रहम सरोवर पर मॉक ड्रील करवाने बारे आदेश दिये गये।
8. उपमण्डल अधिकारी ना0 पिहोवा को सैंसंस पेपर मील में मॉक ड्रील करवाने बारे आदेश दिये गये।
9. उपमण्डल अधिकारी ना0 शाहबाद को शुगर मील, शाहबाद में मॉक ड्रील करवाने बारे आदेश दिये गये।
10. सचिव रैडक्रॉस, कुरूक्षेत्र को आदेश दिये गये कि सभी मॉकड्रील स्थानों पर अपने स्वयंसेवकों को भिजवाना सुनिश्चित करें। स्वयंसेवको को भी आगामी आदेश दिये जाये कि वे जिला अग्निशमन अधिकारी के साथ सहयोग करके निर्धारित स्थानों पर मॉकड्रील करवाना सुनिश्चित करें।
11. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुरूक्षेत्र को आदेश दिये गये कि निर्धारित मॉकड्रील स्थानों पर एम्बुलेंस भिजवाना सुनिश्चित करें।
12. कार्यकारी अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, कुरूक्षेत्र व जिला नगर आयुक्त कुरूक्षेत्र को आदेश दिये गये कि आज दिनांक 07.05.2025 को रात्रि 7:50 से 8:00 बजे तक ब्लैक ऑउट करने के लिए केवल थानेसर शहर में स्ट्रीट लाईट की सप्लाई समय पर बंद करने व चालू करने के आदेश दिये गयें एवं सम्बधित समय बारे मुनादी करने के आदेश दिये गये।
13. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कुरूक्षेत्र को आदेश दिये गये कि वे आगामी समय में सभी गांवो/पंचायतों में इस विषय बारे मुनादी करना सुनिश्चित करें व वे आगामी समय में मॉकड्रील करवाना सुनिश्चित करे।
14. जिला कुरूक्षेत्र के सभी विभागाध्यक्ष को आदेश दिये गये कि सभी अपने–अपने सरकारी कार्यलयों में आपात स्थिति को सूचित करने बारे अलर्ट अलार्म लगाना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त, कुरूक्षेत्र।

पृ0 क्र0 198 /एफ.आर.ए दिनांक 07/05/2025

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आगामी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हेतू प्रेषित हैः–

1. पुलिस अधीक्षक, कुरूक्षेत्र
2. उपमण्डल अधिकारी ना0 थानेसर / शाहबाद / लाडवा / पिहोवा
3. नगराधीश, कुरूक्षेत्र
4. जिला राजस्व अधिकारी, कुरूक्षेत्र
5. सचिव रैडक्रॉस, कुरूक्षेत्र / जिला अग्निशमन अधिकारी, कुरूक्षेत्र।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुरूक्षेत्र
7. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, कुरूक्षेत्र
8. जिला कुरूक्षेत्र के सभी विभागाध्यक्ष

उपायुक्त, कुरूक्षेत्र।